

एक अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5500 सरकारी वाहन

चर्चा में क्यों?

21 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सहि ने बताया कि राज्य में सरकारी विभागों, नगिमों, नकियों, परिवहन नगिम, विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन 01 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा।

प्रमुख बदि

- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नयिम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कएक अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी।
- इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने या करिए पर वाहन लेने के लिये सरकार को 300 से 550 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे।
- संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सहि ने बताया कि दिसंबर माह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत मोटर यान अधिनयिम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी करते हुए सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे।
- उत्तराखंड ने जो सुझाव दिया था, उसमें बताया था कि 5500 वाहनों के कबाड़ में जाने के बजाय अगर उन्हें नीलाम किया जाए तो अपेक्षाकृत कम 11 करोड़ का नुकसान होगा। इसके अलावा दस लाख प्रतिवाहन के हिसाब से देखें तो नए वाहन खरीदने को उत्तराखंड को 550 करोड़ की आवश्यकता होगी।
- इसके बाद राज्य में 15 साल से पुराने किसी भी सरकारी वाहन का नवीनीकरण नहीं होगा, बल्कि उसे कबाड़ में देना होगा, जिसके लिये हर जल में तीन कबाड़ केंद्र बनाए जा रहे हैं।
- संयुक्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि नई नीतिके तहत एक अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रनियुअल नहीं होगा। वह स्क्रैप में ही जाएंगे। 5500 वाहनों के कबाड़ बनने के बाद सभी विभागों को नए वाहन खरीदने होंगे। एक वाहन की औसत कीमत 10 लाख मानें तो राज्य को 550 करोड़ की जरूरत होगी।
- सनत कुमार सहि ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल, 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनविरय तौर पर फटिनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि प्राइवेट वाहनों के लिये यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी।